<u>समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या–21</u>

न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाल, जिला देहरादून।

सी0जी0 नं0–445/2022

हरजिन्द्र कौर बनाम दलजीत कोर

<u>दिनांकः–10.05.2025</u>

आज यह पत्रावली विचारण न्यायालय द्वारा संदर्भित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ के समक्ष पेश हुई। परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत मामले में पक्षकारों का आपसी समझौता होने एवं कोई कार्यवाही न करने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद में आपसी राजीनामे के आधार पर मामले को निस्तारित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसे में उभयपक्ष का प्रस्तुत मामले में आपसी राजीनामे के कारण पक्षकारों के मध्य कोई वाद कारण शेष नहीं रह गया है। पत्रावली तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

प्रस्तुत मुकदमा समझौते के आधार पर निस्तारित हो चुका है। अतः पत्रावली फौजदारी अभिलेखागार नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य/अधिवक्ता **अध्यक्ष**

मनीष कुमार धीमान
अधिवक्ता सदस्य

(विशाल वशिष्ठ)
न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
लोक अदालत पीठ संख्या–21
डोईवाला, देहरादून।